न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्वमण्डल कैम्प –भोपाल

ग्वालियर (म०प्र०)

प्र०क्र०————

सज्जाद हुसैन आ0 मुख्तार हुसैन आयु व्यस्क,

नि– पान चौराहा सीहोर म0प्र ——————————निगरानीकर्ता,

विरूद्व,

01:–शहरयार हुसैन आ0 स्व0 हकीमउद्दीन,आयु व्यस्क,

02:–मोहम्मद हुसैन आ0 स्व0 हकीमउद्दीन, आयु व्यस्क,

03:–शब्बीर हुसैन आ0 सव0 हकीमउद्दीन, आयु व्यस्क,

04:–नफीसा बानो पुत्री स्व0 हकीमउद्दीन, आयु व्यस्क,

05:–जेनबबानो पुत्री स्व0 हकीमउद्दीन, आयु व्यस्क,

सभी निवासी पानचौराहा सीहोर म0प्र0——————रेस्पोन्डेन्ट,

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0स01959 विरूद्व आदेश दिनांक 09–03–17 प्र क 137/अ–6/06–07 पारित द्वारा नजूल अधिकारी महोदय सीहोर म0प्र

–: पक्करण जो आहुत किए जाने है:–

01:–प्र क 137/अ–6/06–07 न्यायालय श्रीमान नजूल अधिकार महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 995–दो/2017 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02–06–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार आष्टा के प्रकरण कमांक 137/अ–6/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 09–3–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूल अधिकारी द्वारा मान0 उच्च न्यायालय जबलपु के आदेश दिनांक 20–12–16 के निर्देशानुसार कार्यवाही प्रारंभ कर निर्धारित समयावधि में की जाना प्रकट है। इसी कारण आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निराकरण अंतिम आदेश के साथ किये जाने का आदेश दिया है तथा प्रकरण साक्ष्य तथा प्रतिपरीक्षण हेतु नियत किया है। नजूल अधिकारी द्वारा मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में त्वरित कार्यवाही की जा रही है। नजूल अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	